न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्या:– 86/2017

दर्ज तिथि :– 21.07.2017

श्री रामेश्वरलाल पिता प्यारचन्द ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोरखेड़ी तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।

..................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा तहसील, निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़

..................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता:–श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया
अप्रार्थी:– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 व 131
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि :– 23.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र मय संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक ग्राम बोराखेडी, पटवार हल्का, बडोली माधोसिंह तहसील, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 641 रकबा 0.58 हैक्टेयर जिसके पुराने साबिक आराजी नं. 385/535 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा एवं आ.नं. 642 रकबा 0.86 हैक्टेयर जिसके पुराने साबिक आराजी नम्बर 382 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रार्थी की कब्जे काश्त होकर सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नवीन राजस्व नक्शे में पुराने नक्शे के अनुसार तरमीम नहीं की जाकर गलत तरमीम कर दी और प्रार्थी की भूमि को नक्शे में छोटा और कम तरमीम कर दिया गया। अतः प्रार्थी की आ.नं. 641 एवं 642 का नक्शा पूर्व एवं मौका [illegible] दुरूस्त करवाये जाने का अनुरोध प्रार्थी द्वारा किया गया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को [illegible] नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा [illegible] तहसीलदार, निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड ग्राम बोराखेडी में आ.नं. 641 रकबा 0.58 हैक्टेयर एवं आ.नं. 642 रकबा 0.86 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.44 हैक्टेयर श्री रामेश्वरलाल पिता प्यारचन्द ब्राह्मण निवासी बोराखेडी के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसके साबिक आ.नं. क्रमश : 385/534 रकबा 2.06 बीघा एवं आ.नं. 382 रकबा 3.08 बीघा है। वर्तमान राजस्व नक्शा में आ.नं. 641 व 642 का नक्शा छोटा अंकित कर दिया गया है। दोनों आराजियात का कम्प्यूटर ऑटोकेट में राजस्व नक्शा का रकबा बरारी क्षेत्रफल ज्ञात करने पर आराजी नं. 641 का रकबा 0.24 हैक्टेयर व आराजी नं. 642 का रकबा 0.73 हैक्टेयर ही बनता है। खातेदार का दोनों आराजी का वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार रकबे में कमी आ.नं. 641 में 0.34 हैक्टेयर व आ.नं. 642 में 0.13 हैक्टेयर कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर नक्शा सीमाओं के अन्दर कम अंकित है। इन दोनों आराजियात से लगती हुई आराजी नम्बर 649 रकबा 16.51 हैक्टेयर महफूज चारागाह दर्ज रिकार्ड है। चारागाह आराजी नम्बर 649 का ऑटोकेट से क्षेत्रफल रकबा बरारी करने पर रकबा 16.59 हैक्टेयर आता है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज में पुराना साबिक नक्शा प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के द्वारा साबिक आराजी का पटवारी हल्का द्वारा जारी किया गया नक्शा उपलब्ध कराया गया हैं उसमें अंकित आराजी नम्बर 385/534 की तरमीम अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे खातेदार श्री रामेश्वरलाल पिता प्यारचन्द ब्राह्मण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा कुल 1.44 हैक्टेयर (दोनों आराजी 641, 642) के क्षेत्रफल में कुल कमी 0.47 हैक्टेयर की वर्तमान राजस्व नक्शे में आ.नं. 649 मे तरमीम प्रस्तावित की गई है। संलग्न प्रस्तावित राजस्व नक्शा में आ.नं. 641 व 642 का रकबा पूर्ण करने हेतु मय राजस्व नक्शा पेश किया है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नक्शा पूर्ववत दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नक्शा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी की वर्तमान आराजी नम्बर 641 रकबा 0.58 हैक्टेयर तथा 642 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर नक्शे की रकबा बरारी में आ.नं. 641 का रकबा 0.24 हैक्टेयर एवं 642 का रकबा 0.73 हैक्टेयर ही बनता है। पत्रावली के साथ संलग्न साबिक नक्शे के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि वर्तमान आराजी नम्बर 642 का रकबा पूर्ववत साबिक आराजी नम्बर 382 के ही अनुरूप हैं किन्तु आ.नं. 641 की वर्तमान तरमीम पूर्व साबिक आ.नं. 385/534 के अनुरूप नहीं होने के कारण आ.नं. 641 का नक्शा छोटा दर्ज हो गया है अतः आ.नं. 641 के नक्शे में पूर्ववत तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

4. इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार है:—

> *प्रार्थना—पत्र में आवेदित तथ्यों/शुद्धि के संबंध में मौके एवं रिकार्ड से जांच की गई। प्रार्थी की वर्तमान आराजी नम्बर 641 एवं 642 के नक्शे की रकबा बरारी में क्रमशः 0.34 एवं 0.13 हैक्टेयर भूमि की कमी पाई गई। साबिक नक्शे अनुसार वर्तमान चरागाह आराजी नम्बर 649 में से भूमि की तरमीम कर प्रार्थी के नक्शे में कमी रकबे की पूर्ति हेतु तरमीम शुदा नक्शा संलग्न प्रेषित किया गया है।*

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:—

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

6. इस प्रकार राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के तहत प्रार्थना—पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

<u>आदेश है कि</u>

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 व 131 राजस्थान भू—राज[illegible] पूर्व रिकॉर्ड से साबित होने के कारण [illegible] किया जाता है एवं ग्राम बोराख[illegible] माधोसिंह की आ.नं. 641 रकबा 0.58 [illegible]टेयर के नक्शे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

रकबा बरारी में 0.34 हैक्टेयर एवं आ.नं. 642 रकबा 0.86 हैक्टेयर के नक्शे की रकबा बरारी में 0.13 हैक्टेयर की कमी पाई जाने से तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित नक्शे अनुसार कमी रकबे की पूर्ति हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम बोराखेडी, पटवार मण्डल बडौली माधोसिंह की खाता संख्या 255 में अंकित आ.नं. 641 रकबा 0.58 हैक्टेयर एवं आ.नं. 642 रकबा 0.86 हैक्टेयर की तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा आदेशानुसार रिकार्ड एवं नक्शे में दुरूस्ती करें। तरमीमशुदा नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 23.05.2023 खुले प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पचांयत बडौली माधोसिंह में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

23/5/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:11 IST
Reason: SelfAttested